हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

ग्रामीण नियोजन समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2021-22)

ग्रामीण विकास विभाग

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित समिति के अष्टम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2018-19) पर बना 21वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अग्रेत्तर कार्रवाई का विवरण।

(दिनांकः०३.03.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	अग्रेत्तर कार्रवाई का विवरण	1-3

समिति का गठन

सभापतिः

1. श्री बलबीर सिंह वर्मा

सदस्यः

2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री नन्द लाल
4. श्री जिया लाल
5. श्री पवन नैय्यर
6. श्री अर्जुन सिंह
7. श्री अरूण कुमार
8. श्री मुलख राज
9. श्रीमती रीना कश्यप

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्रीमती मंजू शर्मा : सम्पादक कार्यवाही एवं समिति अधिकारी।

प्रस्तावना

मैं सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (तेरहवीं विधान सभा)(2021-22) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित समिति का 8वाँ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना समिति का 21वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में पुनः सिफारिशों पर सरकार द्वारा की कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

समिति का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण)के नियम 209 तथा 211 के अनुसरण में जारी अधिसूचना संख्याः वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018 दिनांक 01.04.2021 व आंशिक परिवर्तन दिनांक 21.04.2021 तथा 10.11.2021 द्वारा जारी किया गया।

समिति का 21वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(2020-21) दिनांक 11.09.2020 को आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित किया गया था। समिति द्वारा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के उत्तर विभाग ने दिनांक 04.03.2021 को उपलब्ध करवाए। समिति ने दिनांक 11.02.2022 को आयोजित बैठकों में प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार-विर्मश किया। विचारोपरान्त इस पर संतुष्टि प्रकट की तथा अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण बनाने का निर्णय लिया। यह **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** विभाग से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 11.02.2022 को आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अपनाया तथा सभापति महोदय को सदन में उपस्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव (**ग्रामीण विकास**), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य अधिकारियों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर/सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

(बलबीर सिंह वर्मा)
सभापति,
ग्रामीण नियोजन समिति

शिमला-171004.
दिनांकः 11.02.2022

R.R.04-03-2021

क0स0	सिफारिश संख्या	पुनः सिफारिशें	टिप्पणी
1	2 (i)	समिति सिफारिश करती है कि कनिष्ठ कार्यालय सहायक के भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के दो रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कितनी बार प्रयास किया गया है? यह दोनों पद कितने समय से रिक्त हैं और इन्हें कब तक भर दिया जाएगा?	माननीय समिति को अवगत करवाया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग में, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) के वर्ष 2017 में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के 04 पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2017 को उप–क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय, भूतपूर्व सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ हमीरपुर को मांग पत्र प्रेषित किया था। परन्तु उक्त कार्यालय द्वारा उनके पत्र दिनांक 31.08.2018 के अन्तर्गत इन उक्त 04 रिक्त पदो के विरूद्व केवल 02 ही उम्मीदवारों के नाम इस विभाग को उपलब्ध करवाए गए।उक्त श्रेणी के शेष 02 रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा पत्र संख्या दिनांक 03.11.2019 व पत्र दिनांक 04.06.2020 के अन्तर्गत उप–क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय, भूतपूर्व सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ हमीरपुर से आग्रह करके भरने का प्रयास किया गया। परन्तु अभी तक उक्त कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित है। जिस कारण से कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) के 02 पद दिनांक 21.01.2017 से रिक्त चल रहे है। जैसे ही इन 02 रिक्त पदो के विरूद्व क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, भूतपूर्व कक्ष द्वारा उम्मीदवार उपलब्ध करवायें जाएगें तदानुसार यह दोनों पद भर दिए जाएगे।

क0स0	सिफारिश संख्या	पुनः सिफारिशें	टिप्पणी
1	2 (ii)	समिति मुख्य सेविका और महिला ग्राम विकास संयोजिका के रिक्त पदों को भरने हेतु वित विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा कितनी बार प्रयास किया गया है और इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा।	मुख्य सेविका और महिला ग्राम विकास संयोजिका के रिक्त पदों को भरने हेतु वित विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा एक बार प्रयास किया गया। मुख्य सेविका के पदों की प्रस्तावना को अप्रैल, 2016 में निरस्त किया गया था। जिसे बाद में दिनांक 17.03.2018 को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया परन्तु विभाग द्वारा इन पदों को ना भरने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया, जिस कारण इन पदों को भरा नही जा सका। महिला ग्राम विकास संयोजिकाओं के पद भरने की अनुमति प्रदान करने हेतु मामला वित्त विभाग को 26.06.2020 को भेजा गया था, जिसे वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में कोविड–19 के प्रभाव के कारण लम्बित रखने के आदेश दिए है।

क0स0	सिफारिश संख्या	पुनः सिफारिशें	टिप्पणी
1	6 (iii)	समिति सिफारिश करती है कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान 1.28 लाख रूपये की मजदूरी का भुगतान कौन –कौन से माह का लम्बित है और क्या वर्ष 2020–21 में इस शेष धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा?	माननीय समिति को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016–17 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत मु0 1.28 लाख रूपये की मजदूरी का भुगतान लम्बित था परन्तु इसका माह वार ब्यौरा एम.आई.एस. पर उपलब्ध नही है। उक्त लम्बित धनराशि का वर्ष 2020–21 में पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

अधिप्रमाणित

ग्रामीण विकास मंत्री